264

उत्तराखण्ड शासन
शहरी विकास अनुभाग–2
संख्या– 1614/IV(2)–श0वि0–2014–246(सा0)04-TC 1
देहरादून : दिनांक 17 अक्टूबर, 2014

अधिसूचना

राज्यपाल, उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश निगम अधिनियम, 1959) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 की धारा 114 के खण्ड (21) और धारा 451 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 453 के अधीन शक्ति का प्रयोग करते हुए जिस नियमावली को बनाने का प्रस्ताव करते हैं, उसका निम्नलिखित प्रारूप समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों की सूचना के लिए और उसके सम्बन्ध में आपत्तियां एवं सुझाव आमंत्रित करने की दृष्टि से उक्त नियमावली की धारा 540 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

2– प्रस्तावित नियमावली के सम्बन्ध में आपत्ति और सुझाव, यदि कोई हो, सचिव, शहरी विकास अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन को सम्बोधित करके लिखित रूप में प्रेषित किये जाना चाहिए। केवल उन्हीं आपत्तियों और सुझावों पर विचार किया जायेगा, जो इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से 15 दिन के भीतर प्राप्त होंगे।

उत्तराखण्ड नगरीय फेरी व्यवसायी (आजीविका सुरक्षा तथा फेरी व्यवसाय विनियमन) नियमावली 2014

संक्षिप्त नाम, लागू किया जाना और प्रारंभ

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम "उत्तराखण्ड नगरीय फेरी व्यवसायी (आजीविका सुरक्षा तथा फेरी व्यवसाय विनियमन) नियमावली 2014" है।
   (2) यह उत्तराखण्ड में सभी नगर निगमों, नगरपालिकाओं एवं नगर पंचायतों पर लागू होगी।
   (3) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

परिभाषायें

2. जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में–
   (क) 'अधिनियम' से भारत सरकार द्वारा प्रवृत्त नगरीय फेरी व्यवसायी (आजीविका सुरक्षा तथा फेरी व्यवसाय विनियमन) अधिनियम 2014 अभिप्रेत हैं।
   (ख) 'अनुज्ञप्ति' से इस नियमावली के अधीन जारी अनुज्ञा–पत्र अभिप्रेत है।
   (ग) नगर फेरी समिति से निकाय स्तर पर फेरी व्यवसायियों की आजीविका सुरक्षा तथा फेरी व्यवसाय के विनियमन हेतु गठित होने वाली ऐसी समिति अभिप्रेत है, जिसमें वेडिंग क्षेत्रों के निर्धारण तथा फेरी व्यवसायियों के पंजीकरण की शक्ति निहित होंगी।

(घ) स्थानीय निकाय से उत्तराखण्ड में स्थित सभी नगर निगमों, नगर पालिका परिषदों तथा नगर पचांयतें अभिप्रेत हैं, जो शहर में नागरिक सेवाऐं प्रदान करें तथा फेरी व्यवसाय का विनियमन करें। उक्त में शहर में भूमि उपयोग विनियमन करने वाली नियोजन प्राधिकरण भी सम्मिलित होगी।

(ड.) 'राज्य नोडल अधिकारी से निदेशक, शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड अभिप्रेत है।

(च) 'फेरी वाला' से ऐसे व्यक्ति अभिप्रेत है, जो बिना किसी स्थायी निर्मित संरचना के किन्तु अस्थायी स्थिर संरचना या चलती फिरती दुकान से या सिर पर भार रखकर बिक्री के लिए जनता को सामान या सेवायें प्रदान करता है। फेरीवाले पटरियों या अन्य सार्वजनिक/निजी क्षेत्रों पर स्थान ग्रहण कर स्थितर हो सकते हैं या इस प्रकार चलते फिरते हो सकते हैं कि वे ठेला गाडी पर या साईकिल पर या अपने सिर पर टोकरी रखकर या चलती हुई बस आदि में चलकर अपने सामान का विक्रय कर सकते हैं। नगरीय फेरीवाला के अन्तर्गत व्यापारी और सेवाप्रदाता, स्थिर और चलते–फिरते फेरीवाले, पटरीवाला, पटरी व्यापारी आदि सम्मिलित है।

(छ) 'सड़क की पटरी' से सड़क के फुटपाथ की ओर स्थित भाग अथवा सड़क के किनारे स्थित भाग अभिप्रेत है।

(ज) 'शुल्क' से अनुज्ञप्ति शुल्क, पंजीकरण शुल्क, मासिक शुल्क या इसी प्रकार के अन्य शुल्क अभिप्रेत हैं।

(झ) 'गैर प्रतिबन्धित फेरी क्षेत्र' से ऐसे क्षेत्र अभिप्रेत हैं जहॉ फेरी व्यवसास पर नियमों के पालन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार का प्रतिबंध अधिरोपित नहीं किया गया हैं।

(ञ) 'नियंत्रित फेरी क्षेत्र' से ऐसे क्षेत्र अभिप्रेत हैं जहॉ नगर फेरी समिति द्वारा निर्धारित वार, तिथि, समय अथवा अवसर पर फेरी व्यवसाय की अनुज्ञा दी गई हैं।

(प) 'नो वेडिंग जोन' (फेरी रहित क्षेत्र) से ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है, जिसे फेरी व्यवसाय हेतु अनुज्ञा जारी नहीं की गई हैं।

(फ) सार्वजनिक स्थान से ऐसा स्थान अभिप्रेत हैं, जो कि आम जनता के उपयोग और मनोरंजन के लिये खुला हों।

(ब) प्रथम अपीलीय अधिकारी से नगर निगम तथा नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत हेतु संबधित जिले के क्रमशः जिला मजिस्ट्रेट एवं परगना मजिस्ट्रेट अभिप्रेत हैं।

(भ) द्वितीय अपीलीय अधिकारी से नगर निगम तथा नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत हेतु संबधित जिले के क्रमशः मण्डलायुक्त एवं जिला मजिस्ट्रेट अभिप्रेत है।

(म) चलायमान व्यवसायी से ऐसे फेरी व्यवसायी अभिप्रेत है जो निर्धारित स्थल पर आवागमन द्वारा व्यवसायिक गतिविधियां करते हुए सामग्री एवं सेवाओं का विक्रय करते हैं।

(य) स्थिर व्यवसायी से ऐसे फेरी व्यवसायी अभिप्रेत है जो निर्धारित स्थल पर नियमित रूप से व्यवसायिक गतिविधियां संचालित करता है।

प्रतिषेध

3. कोई भी व्यक्ति इस नियमावली के अधीन अनुज्ञप्ति प्राप्त क्षेत्र के अलावा किसी सार्वजनिक स्थान या खुली भूमि पर कोई सामान बेचने, सम्प्रदर्शित करने या लगाने के लिए वाहन खड़ा करने के लिए किसी स्थल को नहीं घेरेगा अथवा फेरी द्वारा सेवा या सामान की बिक्री नहीं करेगा।

फेरी क्षेत्रों का सीमांकन

4. (क) प्रत्येक नगर निकाय में फेरी क्षेत्रों, स्थानों अथवा बाजारों का चिन्हांकन तथा सीमांकन नगर फेरी समिति द्वारा निम्नानुसार किया जायेगा–

(1) गैर प्रतिबंधित फेरी क्षेत्र (2 झ में परिभाषित)

(2) नियंत्रित फेरी क्षेत्र (2 ञ में परिभाषित)

(3) फेरी रहित क्षेत्र (नो वेण्डिंग जोन) (2 प में परिभाषित)

<u>फेरी रहित क्षेत्र (नो वैन्डिंग जोन):–</u>

(1) यातायात के खतरो, स्थान के ऐतिहासिक, पुरातत्व व धार्मिक महत्व तथा जनहित को दृष्टिगत रखते हुए किसी भी स्थान को 'नों वैण्डिंग जोन' नगर फेरी समिति द्वारा घोषित किया जा सकता है।

(2) 'नो वैन्डिंग जोन' में व्यवसाय करने वाले फेरी व्यवसायियों को नगर निगम/ नगर पालिका परिषद अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत अतिक्रमण मानकर निर्धारित प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही करने हेतु नगर फेरी समिति सक्षम होगा तथा इनके परिचय पत्र व पंजीयन निरस्त किये जायेगें।

(3) जनस्वास्थय, स्वच्छता, सुरक्षा तथा जनसुविधा अथवा समान कारकों को दृष्टिगत रखते हुए नगर फेरी समिति नो बेडिंग जोन की सीमा किसी भी समय विस्तारित कर सकती हैं। परन्तु इस प्रकार का निर्णय लिये जाने से पूर्व समस्त संबधित पक्षों यथा– फेरी व्यवसायी, संबधित पुलिस अधिकारी, तथा जनप्रतिनिधि अथवा जनसंगठन के प्रतिनिधियों के विचारों को भी सुना जाना चाहिये।

फेरी व्यवसायियों का सर्वेक्षण

5. **(1)** नगर फेरी समिति द्वारा नगर में विद्यमान समस्त फेरी व्यसायियों का डिजिटलाईज्ड फोटो सर्वेक्षण नियमावली लागू होने के 1 माह के मध्य पूर्ण कर उन्हें सूचीबद्ध किया जायेगा।

(2) फेरी व्यवसायियों का न्यूनतम एक बार पुनर्सर्वेक्षण पॉच वर्ष की अवधि में सम्पन्न कराया जायेगा।

फेरी व्यवसायियों को हटाने अथवा विस्थापन से सुरक्षा

6. **(1)** नगर फेरी समिति द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि समस्त सर्वेक्षित विद्यमान फेरी व्यवसायियों को व्यवसाय हेतु सीमांकित फेरी क्षेत्र में समाहित करने का प्रयास किया जायेगा।

(2) प्रस्तर–5 (1) में उल्लिखित सर्वेक्षण पूर्ण होने तथा समस्त फेरी व्यवसायियो को फेरी अनुज्ञा जारी होने तक हटाया या विस्थापित नहीं किया जायेगा।

पंजीकरण एवं परिचय पत्र जारी करना

7. (1) पंजीकरण हेतु प्रपत्र "क" पर प्रार्थना पत्र फेरीवालों से प्राप्त किया जायेगा।

(2) पहचान के विश्वसनीय स्त्रोतों के आधार पर प्रत्येक नगर के समस्त फेरीवालों का नगर फेरी समिति द्वारा परिचय–पत्र तैयार किये जायेंगे।

(3) फेरी व्यवसायी, जो सर्वेक्षण में छूट गये हों अथवा फेरी व्यवसाय प्रथम बार आरम्भ करना चाह रहें हों, उन्हें भी पंजीकरण कराने का अधिकार होगा। संबधित फेरी व्यवसायियों को इस हेतु यह शपथ पत्र देना होगा कि उनके पास आजीविका का कोई अन्य साधन मौजूद नहीं हैं।

(4) प्रत्येक वर्ष के पश्चात् पंजीकरण को नवीनीकृत किया जायेगा।

फेरी अनुज्ञा एवं अनुज्ञा शर्तें

8. (1) प्रत्येक फेरी क्षेत्र की वेडिंग क्षमता आकलित की जायेगी।

(2) फेरी की अनुज्ञा क्षेत्र आधारित जारी की जायेगी।

(3) फेरी अनुज्ञा हेतु आवेदन सभी पंजीकृत फेरीवाले दे सकते हैं तथा यह आवेदन कई फेरी क्षेत्रों हेतु भी दिया जा सकता है।

(4) प्राप्त आवेदनो पर फेरी अनुज्ञा हेतु फेरी व्यव्सायियों का चयन फेरी क्षेत्र की वेडिंग क्षमता के आधार पर एक स्वच्छ एवं पारदर्शी प्रकिया के अधीन किया जायेगा।

(5) वेंडिग क्षमता से अधिक संख्या में आवेदन प्राप्त होने पर लाटरी पद्धति द्वारा फेरी व्यवसायियों का चयन किया जायेगा अथवा समय आधारित फेरी अनुज्ञप्ति जारी की जायेगी।

(6) चयनित आवेदकों से विहित शुल्क के भुगतान के पश्चात् वार्षिक आधार पर अनुज्ञा–पत्र नगर फेरी समिति द्वारा जारी किये जायेंगे। फेरीकर्ताओं/फेरीवालों को अनुज्ञप्तियों के सर्वेक्षण/पंजीकरण और उन्हें जारी करने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही निरन्तर प्रक्रिया के अधीन की जायेगी।

(7) विशेष परिस्थितियों में मेलों, मौसमी कार्यक्रमों, त्यौहारों और उत्सवों के लिए अंशकालिक अनुज्ञप्ति आनुपातिक शुल्क जमा कराकर जारी की जा सकेगी। इसके अंतर्गत पूर्व मे अनुज्ञा प्राप्त फेरी व्यवसायियों से कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जायेगा।

(8) अनुज्ञप्ति प्राप्त प्रत्येक फेरी व्यवसायी के पहचान–पत्र में निम्नलिखित विवरण उल्लिखित होगा–

(एक) फेरी व्यवसायी कोड

(दो) फेरीवाले का नाम, पता तथा फोटो।

(तीन) परिवार के किसी भी नामनिर्देशिती का नाम।

(चार) श्रेणी (स्थिर या चल)।

(पाँच) फेरी क्षेत्र जहां परिचय–पत्र स्वामी को स्थिर या चल फेरी करने की अनुज्ञा दी गई हो।

(छः) अनुज्ञप्ति की विधिमान्यता .....से ....तक।

(9) पहचान–पत्र नगर फेरी समिति द्वारा मांग किये जाने पर उपलब्ध कराया जायेगा।

(10) परिवार के एक से अधिक सदस्यों को फेरी की अनुज्ञा नहीं दी जायेगी।

(11) 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को व्यवसाय के संचालन के लिये पहचान–पत्र जारी नहीं किया जायेगा।

(12) नगर फेरी समिति द्वारा फेरी अनुज्ञा पत्र जारी करने हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछडा वर्ग, विकलांग, अल्पसंख्यक तथा अन्य ऐसी श्रेणीं के लोगों को वरीयता प्रदान की जायेगी।

(13) प्रत्येक फेरी व्यवसायी जिसे फेरी अनुज्ञा जारी की गई हैं, के द्वारा निर्धारित फेरी शुल्क का भुगतान किया जायेगा।

फेरी अनुज्ञा की श्रेणियां

9. (1) फेरी अनुज्ञा निम्न श्रेणियों के अधीन जारी की जायेगीः–

1- स्थिर फेरी व्यवसायी

2- चलायमान फेरी व्यवसाय

3- अन्य श्रेणी, जैसा राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करें

फेरी अनुज्ञा का निलम्बिकरण/ निरस्तीकरण

10. नगर फेरी समिति द्वारा फेरी व्यवसायी की अनुज्ञप्ति निम्न परिस्थितियों में निलम्बित अथवा निरस्त की जा सकेगी–

(1) यदि किसी फेरीकर्ता द्वारा किसी भी समय अधिनियम अथवा इस नियमावली में विहित शर्तो का उल्लंघन किया जाता है अथवा उसके व्यवसाय से यातायात में अवरोध या पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न किया जाना सत्यापित हो जाता है।

(2) नगर फेरी समिति को यह सन्तुष्टि होने पर कि फेरी व्यवसायी द्वारा फेरी अनुज्ञा धोखाधड़ी अथवा गलत तथ्यों के आधार पर प्राप्त की गई है।

परन्तु फेरी व्यवसायी को सुनवाई का मौका दिये बिना नगर फेरी समिति द्वारा उक्तानुरूप निलम्बन अथवा निरस्तीकरण की कार्यवाही नहीं की जायेगी।

अपील

11. (1) नगर फेरी समिति के निर्णयों के विरूद्ध प्रभावित पक्ष द्वारा एक माह की समयावधि में प्रथम अपीलीय अधिकारी के यहां प्रपत्र–ख अपील की जा सकती हैं।

(2) प्रथम अपीलीय अधिकारी के निर्णयों के विरूद्ध प्रभावित पक्ष द्वारा 15 दिन की समयावधि में द्वितीय अपीलीय अधिकारी के यहां प्रपत्र–ग अपील की जा सकती हैं।

(3) आवेदक को सुनवाई का मौका दिये बिना अपील का निस्तारण नहीं किया जायेगा।

नगर फेरी समिति

12. (1) नगर निगम तथा नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत में नगर फेरी समिति के गठन हेतु सम्बन्धित जिले के क्रमशः जिलाधिकारी तथा परगनाधिकारी द्वारा अपनी उपस्थिति में अधिनियम की धारा 22(2) में उल्लेखित प्रक्रिया के अधीन समस्त हित भागियों की बैठक नियमावली लागू होने के एक माह के मध्य आहूत की जायेगी, जिसमें नगर फेरी समिति का गठन किया जायेगा।

(2) प्रत्येक स्थानीय निकाय में नगर फेरी समिति का संगठनात्मक स्वरूप निम्नवत होगा–

(1)	मुख्य नगर अधिकारी/अधिशासी अधिकारी	अध्यक्ष
(2)	अपर जिलाधिकारी/परगनाधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी	सदस्य
(3)	अपर पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी अथवा उनकें द्वारा नामनिर्दिष्ट अधिकारी	सदस्य
(4)	तकनीकी अधिकारी, नगर निगम/नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत	सदस्य
(5)	विकास प्राधिकरण/विनियमित क्षेत्र का अधिकारी	सदस्य
(6)	अपर पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी यातायात पुलिस	सदस्य
(7)	स्वास्थ्य अधिकारी, स्थानीय निकाय/मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा नामित चिकित्साधिकारी	सदस्य
(8)	लीड बैंक अधिकारी	सदस्य
(9)	फेरी संगठनों के प्रतिनिधि	सदस्य
(10)	आवासीय कल्याण संगठन के प्रतिनिधि	सदस्य
(11)	समुदाय आधारित संगठन के प्रतिनिधि	सदस्य
(12)	स्वयंसेवी संगठन के प्रतिनिधि	सदस्य
(13)	अन्य समान अभिरूचि वाले नागरिक	सदस्य

(3) नगर फेरी समिति में स्वयंसेवी संस्था तथा समुदाय आधारित संगठन से न्यूनतम 10 प्रतिशत प्रतिनिधि मनोनीत किये जायेंगे।

(4) नगर फेरी समिति में कुल सदस्यों के न्यूनतम 40 प्रतिशत सदस्य फेरी संगठनों से होंगे, जो उनके द्वारा स्वयं चयनित किये जायेंगे, जिसमें न्यूनतम एक तिहाई महिला प्रतिनिधि होनी अनिवार्य हैं।

(5) फेरी व्यवसायी प्रतिनिधियों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्प संख्यक तथा अपंग व्यक्तियों को नगर फेरी समिति में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जायेगा।

(6) नगर फेरी समिति के शासकीय सदस्यों को छोड़कर शेष सदस्य उन भत्तों को प्राप्त कर सकेंगे, जिसे राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

नगर फेरी समिति की बैठक

13. (1) नगर फेरी समिति की माह में न्यूनतम एक बैठक आयोजित की जायेगी।

(2) स्थानीय निकाय नगर फेरी समिति को उपयुक्त कार्यालय स्थान तथा आवश्यक कर्मियों की सेवा आवश्यकातानुसार उपलब्ध करायेगी।

फेरी व्यवसाय चार्टर तथा डाटा बेस का प्रकाशन

14. (1) प्रत्येक नगर फेरी समिति द्वारा फेरी व्यवसायियों का चार्टर प्रकाशित किया जायेगा, जिसमें फेरी अनुज्ञा जारी करने की अवधि, नवीनीकरण तथा अन्य गतिविधियों से सम्बन्धित समय–सीमा को परिलक्षित किया जायेगा।

(2) प्रत्येक नगर फेरी समिति पंजीकृत फेरी व्यवसायियों तथा फेरी अनुज्ञा प्राप्त फेरी व्यवसायियों के आंकड़ों का रख–रखाव करेगी, जिसमें फेरी व्यवसायी का नाम, आंवटित स्थल, व्यवसाय की प्रकृति, फेरी व्यवसायी की श्रेणी तथा अन्य प्रासंगिक विवरण समाहित होंगे।

नगर फेरी समिति के कृत्य।

15. नगर फेरी समिति के कृत्य निम्नलिखित होंगे:–

(क) शहर/वार्ड में फेरी व्यवसायियों की संख्या में वृद्धि अथवा कमीं के आंकलन हेतु सामयिक सर्वेक्षण।

(ख) फेरी वालों का साधारण शुल्क पर पंजीकरण तथा फेरीवालों को परिचय–पत्र जारी करना।

(ग) फेरीवालों को दी जाने वाली सुविधाओं का अनुश्रवण करना।

(घ) प्रत्येक वेंडिग जोन की अधिकतम ग्राह्य क्षमता (holding capacity) का आकलन एवं निर्धारण करना।

(ड.) गैर प्रतिबंधित फेरी क्षेत्रों, दिनॉक, दिवस और समय के संबंध मे नियंत्रित फेरी क्षेत्रों और ऐसे क्षेत्रों की पहचान करना, जो प्रतिबंधित फेरी क्षेत्रों (नो वेडिंग जोन) के रूप में चिन्हांकित होंगे।

(च) फेरी के लिये प्रतिबन्ध एवं शर्तो को नियत करना एवं चूक करने वालों के विरूद्व सुधारात्मक कार्यवाही करना।

(छ) सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथा प्राधिकृत शुल्कों या अन्य प्रभारों का संग्रहण करना।

(ज) अनुश्रवण द्वारा सुनिश्चित करना कि आवंटित स्टाल/ वेडिंग स्पॉट वास्तव में अनुज्ञप्ति धारक द्वारा ही उपयोगित किया जा रहा हैं। आवंटित स्टाल/ वेडिंग स्पॉट किसी अन्य को किराये पर देने अथवा बेचे जाने से रोकने हेतु आवश्यक कार्यवाही अमल मे लाना।

(झ) महत्वपूर्ण उत्सवों/अवकाशों को मनाने हेतु साप्ताहिक बाजारों, उत्सव बाजारों, रात्रि बाजारों, वेडिंग उत्सवों यथा– फूड फेस्टिवल के आयोजन को सुगम बनाना।

(ञ) जनता को उपलब्ध कराये जा रहे उत्पादों एवं सेवाओं की आपूर्ति स्थानीय प्राधिकारी द्वारा निर्धारित लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता व सुरक्षा के मानकों के अधीन सुनिश्चित करना।

फेरी व्यवसायियों के उत्पीड़न पर रोक

16. (1) फेरी अनुज्ञा में निर्धारित नियम व शर्तो के अधीन फेरी व्यवसाय करने वाले किसी भी फेरी व्यवसायी को किसी व्यक्ति, पुलिस अथवा अन्य किसी कानून को लागू करने वाले प्राधिकारी द्वारा फेरी व्यवसाय गतिविधियों हेतु प्रताड़ित नहीं किया जायेगा।

(2) नगर फेरी समिति/स्थानीय निकाय द्वारा फेरी व्यवसायियों से किसी भी शुल्क की वसूली ठेके के आधार पर नहीं की जायेगी।

शुल्क निर्धारण

17. (1) नगर फेरी समिति द्वारा वार्षिक आधार पर लिये जाने वाले पंजीकरण व अनुज्ञप्ति शुल्क का निर्धारण किया जायेगा, जिसे प्रतिवर्ष समिति द्वारा संशोधित किया जायेगा।

(2) नगर फेरी समिति द्वारा मासिक आधार पर लिये जाने वाले फेरी व्यवसाय शुल्क का निर्धारण फेरी व्यवसायियों की श्रेणीं को दृष्टिगत रखते हुए किया जायेगा, जिसे सामयिक आधार पर समिति द्वारा संशोधित किया जायेगा।

(3) स्थानीय निकाय द्वारा फेरी व्यवसाय क्षेत्र में उपलब्ध करायी जा रही नागरिक सुविधाओं {18(1) में उल्लेखित} के एवज में मासिक अनुरक्षण शुल्क/प्रभार वसूल किया जायेगा। शुल्क का निर्धारण स्थानीय निकाय द्वारा किया जायेगा।

(4) वसूल की गयी धनराशि के लिये विहित रसीद फेरीवालों को जारी की जायेगी।

उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधायें

18. (1) फेरी बाजारों में आवश्यकता के आधार पर निम्नलिखित सुविधायें उपलब्ध करायी जायेगी–

(क) ठोस अपशिष्ट निपटान के उपबंध;

(ख) सार्वजनिक शौचालय;

(ग) पेयजल का उपबंध;

(घ) प्रकाश व्यवस्था का उपबंध;

(ड.) अन्य सुविधाएं, स्थानीयनिकाय की दृष्टि में जो आवश्यक एवं उपयुक्त हों।

(2) (क) पंजीकृत फेरीकर्ताओं के लिए सामूहिक बीमा योजना लागू की जा सकेगी।

(ख) फेरीकर्ताओं की सामाजिक प्रास्थिति के उन्नयन के लिए गैर सरकारी संगठन की सहायता ली जा सकती है।

(3) स्थानीय निकाय द्वारा फेरी व्यवसायियों हेतु आवश्यकतानुसार बहुमंजिली वेडिंग बाजार विकसित किये जायेंगे।

अनुश्रवण

19. नगर फेरी समिति पंजीकृत नगर फेरीवालों (स्थिर या चल) की सूची अनुरक्षित रखेगा। नगर फेरी समिति द्वारा राज्य नोडल अधिकारी को निम्नलिखित बिन्दुओं पर वार्षिक रिपोर्ट प्रेषित की जायेगी–

(एक) पंजीकृत मार्ग फेरीवालों की संख्या;

(दो) संग्रहीत राजस्वः

(तीन) किये गये उन्नयन संबंधी और अन्य उपाय;

(चार) पंजीकृत शिकायतें एवं उनका निराकरण;

(पाँच) उपगत व्यय।

(छः) अन्य सूचनायें, जो निदेशक शहरी विकास द्वारा मांगी जायें।

राज्य नोडल अधिकारी राज्य स्तर पर फेरी व्यवसाय से संबधित समस्त गतिविधियों/प्रकरणों का समन्वयन करेंगे।

विस्थापन एवं बेदखली

20. (1) नगर फेरी समिति की संस्तुति पर स्थानीय निकाय किसी भी क्षेत्र अथवा इसके भाग को जनहित में नो वेण्डिंग जोन घोषित कर सकती है तथा इन क्षेत्रों के फेरी व्यवसायियों को निकाय क्षेत्रान्तर्गत अन्य वेण्डिंग जोन/राज्य में संचालित कल्याणकारी योजनाओं के द्वारा विस्थापित कर सकती है।

(2) स्थानीय निकाय ऐसे फेरी व्यवसायियों को हटा सकेगा जिनकी फेरी अनुज्ञा धारा 10 के तहत निरस्त कर दी गई है।

(3) स्थानीय निकाय द्वारा 30 दिन की पूर्व सूचना दिये बिना किसी भी फेरी व्यवसायी को अनुज्ञा प्राप्त फेरी स्थल से हटाया नहीं जायेगा।

(4) सूचना अवधि समाप्त होने पर भी यदि फेरी व्यवसायी द्वारा अनुज्ञा में निर्धारित स्थल/क्षेत्र खाली नहीं किया जाता है तो स्थानीय निकाय बलपूर्वक उसे हटा/विस्थापित कर सकता है।

(5) सूचना अवधि समाप्त होने पर भी यदि फेरी व्यवसायी द्वारा अनुज्ञा में निर्धारित स्थल/क्षेत्र खाली नहीं किया जाता है तो स्थानीय निकाय द्वारा सम्बन्धित व्यवसायी से अधिकतम ₹250/– प्रतिदिवस अर्थदण्ड वसूल किया जायेगा जो किसी भी दशा में फेरी व्यवसायी की जब्त सामग्री की लागत से अधिक नहीं होगी।

अधिरहण एवं पुनर्प्राप्ति

21. (1) धारा 20 की उपधारा 3 के अन्तर्गत नोटिस अवधि की समाप्ति पर यदि फेरी व्यवसायी द्वारा अनुज्ञा में निर्धारित स्थल खाली नहीं किया जाता है तो स्थानीय निकाय यदि आवश्यक हो तो धारा 20 के अन्तर्गत बेदखली के साथ–साथ ऐसे फेरी व्यवसायी की सामग्री जब्त कर सकती है।

(2) नगर निकायों के अधिकारियों द्वारा सामान का अधिरहण करते समय स्थल पर ही पंचनामा तैयार किया जायेगा, जिसमें कम से कम दो स्वतंत्र गवाहों के हस्ताक्षर होंगे। पंचनामे का विवरण निम्नवत होगा–

(1) फेरी व्यवसायी का नाम

(2) अधिरहण की तिथि, समय एवं स्थान,

(3) सामान का भार एवं ठेली/ पल्ला (जो भी हो) का विवरण,

(4) सामान अधिरहित करने वाले अधिकारी का नाम, पदनाम एवं विभाग का नाम,

(3) अधिरहित सामानों के पंचनामें की फेरी व्यवसायी को एक प्रति दी जायेगी तथा जिसकी प्राप्ति भी फेरी व्यवसायी से प्राप्त की जायेगी।

(4) अधिरहित सामानों के सम्बन्ध में मार्ग फेरी व्यवसायी युक्तियुक्त समय के भीतर नगर फेरी समिति द्वारा अवधारित किये गये विहित शुल्क के भुगतान पर अपना सामान वापस पाने के हकदार होंगे।

(5) परन्तु फेरी व्यवसायी द्वारा मांग किये जाने पर स्थानीय निकाय द्वारा अक्षय सामग्री तथा क्षयित सामग्री मांग तिथि से क्रमशः दो एवं समान दिवस पर अवमुक्त करेगी।

फेरी व्यवसायी के अधिकार एवं उत्तरदायित्व

22. प्रत्येक फेरी व्यवसायी को फेरी अनुज्ञा जारी होने से पूर्व नगर फेरी समिति को यह शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा कि–

(एक) उसके द्वारा फेरी व्यवसाय स्वयं अथवा उसके किसी पारावारिक सदस्य के द्वारा ही किया जायेगा

(दो) उसके पास आजीविका का कोई अन्य स्त्रोत नहीं हैं।

(तीन) उसके द्वारा इसे किसी भी रूप में यथा– किराया, फेरी अनुज्ञा अथवा निर्धारित स्थल का स्थानान्तरण किसी अन्य को नहीं किया जायेगा।

जहाँ फेरी व्यवसायी, जिसे फेरी अनुज्ञा जारी की गई हो, की मृत्यु हो जाती हैं अथवा वह किसी भी प्रकार की स्थायी विकंलगता से ग्रसित होता हैं या रोगग्रस्त होता हैं, तो उसके परिवार के सदस्यों को अनुज्ञा अवधि तक उस स्थान पर व्यवसाय करने की अनुमन्यता निम्न वरीयता कम में दी जानी चाहियें–

(एक) फेरी व्यवसायी की पत्नी

(दो) फेरी व्यवसायी का आश्रित पुत्र/पुत्री

विवाद की स्थिति में व्यवसाय क्षेत्र का आवंटन किस पक्ष को किया जायें, का निर्धारण समिति द्वारा किया जायेगा।

(क) फेरीकर्ता निम्न वर्णित निर्बन्धनो तथा शर्तो के आधार पर व्यवसाय करेंगे–

(1) फेरीकर्ताओं द्वारा व्यवसाय के प्रयोजनार्थ जनता अथवा ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए वाद्ययन्त्र या संगीत बजाकर शोर नहीं किया जायेगा।

(2) फेरीकर्ता मार्गो तथा पटरियों की सफाई के लिए और किसी नगर निकाय कार्य को करने के लिये नगर सफाई कर्मचारी वर्ग को पूर्ण सहयोग देंगे।

(3) फेरीकर्ता को अपना परिवेश शुद्ध एवं स्वच्छ रखना होगा, किसी प्रकार की गन्दगी, प्रदूषण और दुर्गन्ध नहीं सृजित की जायेगी और पर्यावरण को किसी प्रकार क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।

(4) यातायात में कोई बाधा उत्पन्न नहीं की जायेगी। जन सामान्य के आवागमन और वाहनों के संचालन में अवरोध

उत्पन्न नहीं किया जायेगा।

(5) फेरी व्यवसायी द्वारा मादक पदार्थों तथा अन्य प्रतिबंधित सामग्री का व्यवसाय नहीं किया जायेगा।

(6) फेरी की विहित अवधि में अनुज्ञप्ति मांग किये जाने पर उसे प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा।

(7) विशेषकर मुख्य यातायात मार्गो में स्थिर रहकर व्यवसाय करने वाले फेरी व्यवसायियों को व्यवसाय की अनुमति नहीं दी जायेगी। फेरी व्यवसाय की अनुमति उन क्षेत्रों में भी नही दी जायेगी जहॉ यानीय तथा पैदल यातायात में बाधा उत्पन्न होती हों और दुकानों तथा आवासों तक की पहुॅच बन्द होती हों।

(8) पैदल सेतुओं और उपरिगामी सेतुओं पर कोई फेरी नहीं की जायेगी। कपितय क्षेत्रों को सुरक्षा के कारणों से फेरीकर्ता से मुक्त रखा जा सकता है तथापि पूजा स्थलों के बाहर फेरीकर्ताओं को भक्तों द्वारा अपेक्षित मदों यथा–फूल, चन्दन की लकड़ी, मोमबत्ती, अगरबत्ती, नारियल आदि को देवी–देवताओं का चढाने या पूजा स्थल पर रखने हेतु बेचने की अनुज्ञा दी जा सकती है। स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार फेरी समिति इस सम्बन्ध में विनिश्चय कर सकती है।

(9) सभी महत्वपूर्ण सार्वजनिक/ऐतिहासिक/दर्शनीय स्थलों से निश्चित दूरी तक फेरी व्यवसायियों को कोई जगह नही दी जायेगी। दूरी का निर्धारण नगर फेरी समिति अपनी बैठक में तय कर सकेगी।

(10) किसी क्षेत्र विशेष के लिये 'नो वैन्डिंग जोन' का निर्धारण किसी निश्चित तिथि/वार अथवा समय के आधार पर भी तय किया जा सकेगा।

(11) चिकित्सालय शैक्षणिक संस्थाओं व धार्मिक स्थलों के पास कुछ वस्तु विशेष जैसे–तम्बाकू या नगर फेरी समिति द्वारा निर्धारित वस्तुओं/सामग्री के लिए 'नो वैन्डिंग जोन' तय किया जा सकेगा।

(12) किसी भी प्रकार की भोज्य सामग्री निर्माण (cooking) की गतिविधि अनुमन्य नहीं होगी।

(13) सामान्यतः फेरी की अनुज्ञा प्रातः 7 बजे से रात्रि 10 बजे तक ही अनुमन्य होगी।

(14) महंगी वस्तुओ यथा– बिजलीं के उपकरण, वीडियों/आडियों टेप व कैसेट, कैमरा, फोन इत्यादि को बेचा जाना प्रतिबंधित होगा। यदि कोई फेरीवाला इस प्रकार की सामग्री विकय करता हुआ पाया जाता हो तो तत्काल उसकी फेरी अनुज्ञा निरस्त कर दी जायेंगी।

(ख) नगर की वृद्धि के साथ प्रत्येक नये क्षेत्र में मार्ग फेरी वालों के लिए पर्याप्त प्राविधान किये जायेंगे।

शास्ति एवं अपराधों का शमन

23. यदि कोई फेरी व्यवसायी–

(अ) बिना फेरी अनुज्ञा के व्यवसाय गतिविधियों में संलग्न पाया जाता है।

(ब) फेरी अनुज्ञा की शर्तो का उल्लंघन करता है।

(स) अधिनियम अथवा इस नियमावलीं के अधीन फेरी व्यवसाय विनियमन के लिये निर्मित प्राविधानों का उल्लंघन करता है तो वह ऐसी प्रत्येक शास्ति के लिए अधिकतम ₹2000/– तक के अर्थदण्ड़ का भागीदार होगा, जिसे स्थानीय निकाय द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

अधिनियम का अन्य विधियों पर अध्यारोही होना

24. अधिनियम के प्रभावी होने के दिनांक से, स्थानीय निकाय अधिनियमों के उपबन्ध अथवा इस अधिनियम में उपबन्धित किसी भी मामले से सम्बन्धित कोई अन्य विधि, नियमावलीं आदि इस अधिनियम के उपबन्धों की सीमा तक उपांतरित हुए समझे जायेंगे।

आज्ञा से,

(डी0एस0 गर्ब्याल)
सचिव।

सं0 1614/IV(2)–श0वि0–2014–246(सा0)04-TC 1 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस आशय से प्रेषित कि वे उक्त अधिसूचना को अपने असाधारण गजट के अग्रिम अंक में विधायी परिशिष्ट में प्रकाशित कर गजट की 25–25 प्रतियां निदेशक, शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड, माता मंदिर रोड़, धर्मपुर, देहरादून तथा शहरी विक ास अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(ओमकार सिंह)
उप सचिव।

सं0 1614 /IV(2)–श0वि0–2014–246(सा0)04-TC 1 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया उक्त अधिसूचना को ऐसे दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने का कष्ट करें, जिनका प्रसार राज्य में व्यापक रूप से होता हो।

2– प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।

3– निजी सचिव, मा0 शहरी विकास मंत्री, उत्तराखण्ड को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।

4– सचिव, श्री राज्यपाल को श्री राज्यपाल महोदय के संज्ञानार्थ।

5– आयुक्त, गढ़वाल/कुमायूँ मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।

6– स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।

7– निदेशक, शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9– समस्त मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम, उत्तराखण्ड।
10– समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर निकाय, उत्तराखण्ड।
11– निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून को इस आशय से कि उक्त अधिसूचना को विभाग की वेबसाईट पर भी प्रकाशित करने का कष्ट करें।
12– गार्ड फाईल।

(अमिकार सिंह)
उप सचिव।